

स्पेशल रेलगाड़ी द्वारा जगन्नाथपुरी, गंगासागर, नेपाल, अयोध्या, गयाजी, बनारस यात्रा

यात्रा प्रारम्भ: 16 सितम्बर 2024

यात्रा समय: 16 दिन



दिन	स्थान	दर्शनीय स्थल
पहला दिन	नई दिल्ली	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर बाद 4 बजे शुभ प्रस्थान।
दूसरा दिन	<input type="checkbox"/> अयोध्या	सरयू स्नान, रामजन्म भूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सीतारसोई, मनीराम छावनी।
तीसरा दिन से छठवां दिन	<input type="checkbox"/> नेपाल (काठमाण्डू)	यात्री तीसरे दिन बस द्वारा गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर होते हुए देर रात्रि में काठमाण्डू पहुंचेंगे (रात्रि विश्राम काठमाण्डू में)। पांचवें दिन पशुपतिनाथ, बागमति गंगा दर्शन, स्वयंभू, बूढ़ा नीलकण्ठ दर्शन करते हुए काठमाण्डू से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
सातवां दिन	<input type="checkbox"/> प्रयागराज	त्रिवेणी संगम स्नान, अक्षयवट, पुराना किला, हनुमान मन्दिर (वाराणसी से बस द्वारा)
आठवां दिन	<input type="checkbox"/> वाराणसी	गंगास्नान, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, अन्नपूर्णा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर दर्शन।
नवां दिन	<input type="checkbox"/> गयाजी	फल्गू स्नान, विष्णुपद, पिण्डदान भूमि में पिण्ड प्रदान।
ग्यारहवां दिन	<input type="checkbox"/> गंगासागर	गंगासागर महातीर्थ स्नान, कपिलदेव भगवान के दर्शन (कोलकाता से बस द्वारा गंगासागर प्रस्थान)।
बारहवां दिन	<input type="checkbox"/> कोलकाता	गंगा स्नान, काली देवी मन्दिर, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल।
तेरहवां दिन	<input type="checkbox"/> कोणार्क	सुप्रसिद्ध सूर्य मन्दिर के दर्शन (पुरी से बस द्वारा प्रस्थान)।
तेरहवां दिन	<input type="checkbox"/> भुवनेश्वर	महालिंगराज मन्दिर दर्शन (पुरी से बस द्वारा प्रस्थान)।
चौदहवां दिन	जगन्नाथपुरी धाम	जगन्नाथ मन्दिर, सिंहद्वार, अश्वद्वार, सागर स्नान। (मन्दिर की दूरी स्टेशन से केवल एक मील।)
सोलहवां दिन	दिल्ली	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मधुर स्मृतियों के साथ यात्रा का समापन।

यात्रा किराया:- भोजन, चाय, नाश्ता, गेस्ट हाउस (नेपाल में), बस सहित श्री टियर स्लीपर क्लास (नॉन-AC) का किराया ₹27,001/- प्रति सवारी होगा। ₹1,001/- अग्रिम बुकिंग हेतु प्रति यात्री नगद अथवा ऑनलाइन 'श्री शिव शंकर तीर्थ यात्रा' ऋषिकेश के S.B.I बैंक खाते में या हमारी किसी भी अधिकृत बुकिंग एजेंसी पर जमा करवा दें। शेष धनराशि गाड़ी में बैठने के बाद ले ली जायेगी। जो यात्री हवाई जहाज द्वारा नेपाल बार्डर से काठमाण्डु आना या जाना चाहेंगे तो ₹4,000/- (प्रति यात्री एक तरफ का) अलग देकर जा या आ सकते हैं। कृपया स्पेशल रेल यात्रा के नियम पेज न0 11 व 12 को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही सीट बुक कराये।



घुमने के लिए बसों की व्यवस्था : □ चिह्नित स्थानों पर बसों की व्यवस्था संस्था के द्वारा होगी। यह बस यात्रियों को रेलवे स्टेशन से मन्दिर की पार्किंग तक ले जायेगी तथा वहां से घुमाकर वापिस स्टेशन पर लायेगी। जिन स्थानों पर □ का निशान नहीं है वहाँ पर मन्दिरों की स्टेशन से दूरी नगण्य है इसलिए यात्री स्वयं के खर्च से पैदल अथवा रिक्शे से वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार यात्रियों को पैदल कम चलना पड़ेगा।

भोजन एवं चाय नाश्ता: यात्रियों के लिए यात्रा काल में चाय-नाश्ता व दोपहर एवं रात्रि भोजन रहेगा। भोजन में एक दाल, एक सब्जी, चावल, रोटी का पूरा प्रबन्ध होगा। शाम को चाय दी जायेगी। रोटी, दाल एवं चावल में देशी घी का प्रयोग होगा एवं नाश्ता, सब्जी एवं पूरी में रिफाइण्ड का प्रयोग होगा। चावल बासमती दोनों समय बनाया जायेगा। समय की उपलब्धता के आधार पर यात्रियों को अचार, पापड़, मीठा, सलाद भी भोजन के साथ दिया जायेगा। प्याज व लहसुन का प्रयोग वर्जित होगा। रेल द्वारा लम्बी दूरी की यात्रा के दौरान सात्विक भोजन थाली की व्यवस्था आई. आर. सी. टी. सी. के अधिकृत भोजनालय से की जायेगी। दोपहर एवं रात्रि भोजन के साथ एक-एक मिनरल वाटर की बोतल यात्रियों को दी जायेगी।

आवश्यक सामान : यात्री अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, ऑरिजनल वोटर कार्ड, व ऑरिजनल आधार कार्ड साथ में अवश्य लावें। कृपया प्रत्येक यात्री अपने साथ में एक गिलास, एक चम्मच, प्लास्टिक की बाल्टी, मग्गा, एक प्लास्टिक की सीट (3x3 फुट का) कपड़े धोने व नहाने के वास्ते, एक प्लास्टिक की रस्सी कपड़े सुखाने हेतु, बिस्तर (मौसम के अनुसार) अवश्य लायें।

सुरक्षा: यात्रियों के सामान की सुरक्षा हेतु, ट्रेन में चाय, नाश्ता, भोजन बनाने व घुमाने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों का प्रबन्ध समिति द्वारा रहेगा। कोई भी यात्री सोने व चांदी के जेवर पहनकर न आये। यात्राकाल के दौरान आर्थिक, शारीरिक क्षति एवं यात्री के सामान की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी। व्यवस्थापक यात्रियों के नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा।

शयन सुविधा : रेल यात्रा में प्रत्येक यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ की व्यवस्था होगी। कम्पार्टमेन्ट में कोई तख्ता सीटों के बीच में नहीं लगाया जायेगा। प्रत्येक डिब्बा स्लीपर क्लास होगा। यात्री ट्रेन यात्रा हेतु अपने साथ (मौसम अनुसार) बिस्तर लायें। जहां पर ट्रेन नहीं होगी वहां यात्रियों के रात में ठहरने की व्यवस्था गेस्ट हाउस में समिति द्वारा की जायेगी।

सामान्य चिकित्सा एवं मोबाइल चार्जिंग सुविधा: हमारी यात्रा में केवल सामान्य चिकित्सा की ही व्यवस्था होगी। जो यात्री नियमित रूप से दवाई लेते हैं वे यात्री यात्रा प्रोग्राम के दिनों के अनुसार कृपया अपनी दवाईयां साथ में लावे। यात्रा काल में यात्री को आवश्यकता पड़ने पर यात्री अपने खर्च पर अस्पताल/डाक्टर की व्यवस्था अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। यात्रा काल में आकस्मिक दुर्घटना व प्राकृतिक आपदा से क्षतिपूर्ति के लिये यात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक डिब्बे के प्रत्येक केबिन में मोबाइल चार्ज हेतु बोर्ड लगा होगा परन्तु मोबाइल सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी।

वृद्धजन व अकेली महिला: हमारी यात्रा में अकेले वृद्धजन व महिलाएं भी आराम से यात्रा कर सकती हैं। क्योंकि यात्रा का माहौल घर-परिवार जैसा ही रहता है जिस कारण अकेलापन महसूस नहीं होगा।

L.T.C./L.F.C.: इसकी सुविधा प्राप्त करने वाले यात्रियों को यात्रा की रसीद, यात्रा का प्रमाण पत्र व रेलवे द्वारा यात्रा प्रोग्राम की कॉपी उपलब्ध करायेंगे परन्तु एल.टी.सी. दिलाने की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी।

यात्रा किराया: यात्रियों को चाहिए कि प्रत्येक यात्री अपनी बकाया धनराशि देने के वास्ते अपने साथ नकद रूपया अथवा किसी भी बैंक का ड्राफ्ट/ चैक “ श्री शिवशंकर तीर्थ यात्रा (रजि0) ” के नाम पर ऋषिकेश शाखा का बनवाकर साथ में लावें।



1. रेलवे विभाग द्वारा स्पेशल यात्रा के वास्ते जो भी नियम बनाये गये हैं (सामान, रेलवे टाईम टेबिल और बोगी चेकिंग के वास्ते) उनका पूर्ण रूप से यात्रियों को पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र केवल ऋषिकेश (देहरादून) होगा। उपभोक्ता समिति के अन्तर्गत आने वाले विवाद का भी न्यायक्षेत्र ऋषिकेश (देहरादून) ही होगा।
2. यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी बुकिंग कराने के पश्चात् हैड ऑफिस में अवश्य सूचना दें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो। यात्री सीट बुक कराते समय संस्थापक स्व० लाला शिवचरण लाल अग्रवाल का नाम, फोटो एवं यात्रा संस्था का नाम सावधानी पूर्वक पढ़कर ही सीट बुक करवायें।
3. प्रत्येक यात्री टाईम टेबल के अनुसार चलने को बाध्य होंगे, यदि किसी कारणवश कोई गुप से अलग होता है तो अगले स्टेशन/गन्तव्य पर यात्री अपने खर्चों पर पहुँचेंगे। संक्रमक रोगी, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अथवा झगडालू यात्री को यात्रा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार व्यवस्थापक का होगा।
4. यदि कोई यात्री किन्हीं कारणवश अथवा अस्वस्थ होने की वजह से अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापिस आना चाहेगा तो उस अवस्था में यात्री को व्यवस्थापक की तरफ से केवल घर तक पहुँचाने हेतु रेलवे का श्री टायर स्लीपर क्लास टिकट ही दिया जायेगा। किराया वापसी किसी भी अवस्था में देय नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल यात्रा समाप्ति के 5 दिन पूर्व तक लागू होगी।
5. यात्रा में ट्रेन की उपलब्धता, समय के आधार पर निर्भर होती है अतः रेल के देर से पहुँचने, फ्लाइट लेट होने / बस खराब होने/ रेलवे द्वारा बदलाव/ मौसम खराब होने/साप्ताहिक अवकाश/ बन्द/ रैली आदि के कारण से किसी स्थान पर दर्शन ना होने पर संस्था/ व्यवस्थापक द्वारा कार्यक्रम में जो भी बदलाव किया जायेगा, यात्रियों से निवेदन है कि परिस्थितियों को समझते हुए उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
6. यात्रा काल में मैनेजर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करेंगे परन्तु फिर भी यात्रा के दौरान थोड़ी असुविधा होना स्वाभाविक है। उस समय 'परदेश नरेश कलेशन' की कहावत के अनुसार तपस्या की भावना से उसे सहन करें व व्यवस्थापक को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मुद्रण में किसी भी प्रकार की त्रुटि के वास्ते क्षमा करें।
7. यात्रा रद्द करने के नियम:-यदि कोई यात्री अपनी सीट बुक कराकर किसी भी कारणवश सीट कैंसिल करवाना चाहे तो यात्रा की रवानगी की तारीख को छोड़कर उससे 12 दिन पूर्व तक लिखित सूचना देने पर सीट कैंसिल कर अग्रिम धनराशि (रेलवे रिजर्वेशन का कैंसिलेशन शुल्क काटकर) वापिस कर दी जायेगी। रवानगी की तारीख को छोड़कर उससे 12 दिन पूर्व तक लिखित सूचना प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। यदि बुकिंग यात्रा दिनांक को छोड़कर अन्तिम 12 दिनों में ही की गई है और यात्री अपनी सीट कैंसिल करवाता है तो अग्रिम धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। यदि यात्रा दिनांक का छोड़कर 5 दिन पूर्व तक यात्री द्वारा यात्रा निरस्त की जाती है तो उस स्थिति में यात्री से यात्रा का सम्पूर्ण किराया लेने का कानूनी रूप से अधिकार संस्था को होगा। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होगी।